न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मथुरा।
उपस्थित : विकास कुमार–प्रथम, उच्तर न्यायिक सेवा
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–924/2026
राजकुमार प्रति उत्तर प्रदेश राज्य

<u>आदेश</u>

मुकदमा अपराध संख्या 390/2025, धारा 64(1),333 भारतीय न्याय संहिता, थाना फरह, जिला मथुरा के प्रकरण में आवेदक/ अभियुक्त **राजकुमार** की ओर से स्वयं को जमानत प्रदान किए जाने के लिए यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रस्तुत प्रकरण के अभियोजन कथानक के अनुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा दिनांक 23.10.2025 को जब वादिया/पीड़िता अपने घर पर अकेली थी, दोपहर समय करीब 2.30 बजे अभियुक्त वादिया के आवास पर आया और उसके साथ मारपीट कर घर के अन्दर कमरे में खींचकर ले गया तथा पीड़िता के साथ जबरदस्ती पकड़कर बलात्कार किया। पीड़िता किसी प्रकार छूटकर बाहर आयी तो अभियुक्त छत से कूदकर भागते समय वह घर के बराबर कारखाने में गिर गया।

3– जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता/लीगल एड डिफेन्स काउंसिल एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–फौजदारी को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन किया।

4– आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र एवं समर्थित शपथपत्र पर बल देते हुए विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्यतः इस आशय के कथन किए गए हैं कि आवेदक/अभियुक्त पूर्णतः निर्दोष है, उसको इस केस में झूठा फँसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इससे पूर्व अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो लगाया गया है, न खारिज हुआ है और न ही लंबित है। वादिया के 180 बी०एन०एस०एस० के बयान में उसने कहा कि अभियुक्त ने उसे आते ही मारना–पीटना शुरू कर दिया था एवं अपने 183 बी०एन०एस०एस० के बयान में कहा कि उसे थप्पड़ मारे, उसका गला दबाया, मुंह दबाया। उसका सिर दीवार से अड़ा दिया फिर उसे खींचकर अन्दर कमरे में ले गया जबकि वादिया की मेडीकल रिपोर्ट में वादिया के शरीर पर किसी प्रकार की कोई जाहिरात या गुम चोट नहीं पायी गयी है। वादिया की एम०एल०सी० रिपोर्ट के अनुसार वादिया के शरीर पर किसी प्रकार की कोई जाहिरात व गुप्त चोट नहीं है। चिकित्सक ने रेप की पुष्टि नहीं की है, ना ही पैथोलोजी जांच रिपोर्ट रेप की पुष्टि करती है। वास्तव में आवेदक/अभियुक्त की उम्र 28 वर्ष है तथा वह हरिजन जाति का सदस्य है। वादिया की उम्र 55 वर्ष है। उक्त दिन वह वादिया के मकान के सामने से निकलकर जा रहा था। अभियुक्त द्वारा वादिया से पीने के लिए पानी मांगा। वादिया द्वारा अभियुक्त को पानी दिया गया। बाद में वादिया के पति द्वारा अभियुक्त की वेशभूषा, रंगरूप देखकर उसकी जाति पूछी तो उसने अपनी वाल्मीकि बतायी जिस पर वादिया एवं वादिया का पति आवेश में आ गये तथा आवेदक/अभियुक्त की जमकर पिटायी कर दी, जिस कारण अभियुक्त बेहोश हो गया।आवेदक/अभियुक्त का आपराधिक इतिहास है, वह पूर्व सजायाफ्ता नहीं है और दिनांक 23.10.20255 से जिला कारागार, मथुरा में निरूद्ध है। अतः उसे दौरान मुकदमा जमानत प्रदान की जाये।

5– प्रतिवाद में अभियोजन पक्ष की ओर से मुख्यतः इस आशय के कथन किए गए हैं कि आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त है। दिनांक 23.10.2025 को जब वादिया/पीड़िता अपने घर पर अकेली थी, दोपहर समय करीब 2.30 बजे अभियुक्त वादिया के आवास पर आया और उसके साथ मारपीट कर घर के अन्दर कमरे में खींचकर ले गया तथा पीड़िता के साथ जबरदस्ती पकड़कर बलात्कार किया। पीड़िता किसी प्रकार

Digitally signed by VIKAS KUMAR
Date: 2026.03.19 17:28:09 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

छूटकर बाहर आयी तो अभियुक्त छत से कूदकर भागते समय वह घर के बराबर कारखाने में गिर गया। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। आवेदक/अभियुक्त का आपराधिक इतिहास है। आवेदक/अभियुक्त जमानत का पात्र नहीं है। जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

6– मामले में विवेचना पूर्ण होकर आरोपपत्र प्रेषित किया जा चुका है।

पीड़िता की सप्लीमेंटरी मेडीकोलीगल रिपोर्ट में चिकित्सक द्वारा राय व्यक्त की गयी है कि– No evidence of recent forceful penetration of vagina.

आवेदक/अभियुक्त दिनांक 23.10.2025 से जिला कारागार, मथुरा में निरूद्ध है। आवेदक/ अभियुक्त किसी पूर्व प्रकरण में दोषसिद्ध हो, ऐसा अभियोजन पक्ष का कोई तर्क नहीं है, अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में, बिना प्रकरण के गुण–दोष पर जाए, आवेदक/अभियुक्त को सशर्त जमानत प्रदान किए जाने का न्यायोचित आधार है।

तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त **राजकुमार** द्वारा मुवलिग 1,00,000/– (एक लाख) रूपए का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इतनी ही धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत किए जाने पर उसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियमानुसार जमानत पर रिहा किया जाये–

क– आवेदक/अभियुक्त समान प्रकार के अपराध में पुनः लिप्त नहीं होगा,
ख– आवेदक/अभियुक्त प्रश्नगत विवेचना/विचारण में अपने स्तर से कोई विलम्ब कारित नहीं करेगा,
ग– आवेदक/अभियुक्त न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा एवं अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा,
घ– आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्षीगण को न डरायेगा और न धमकायेगा तथा अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ भी नहीं करेगा,
ड़– आवेदक/अभियुक्त आरोप विरचित किए जाने, धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कथन अंकित किए जाने एवं निर्णय हेतु नियत तिथियों पर आवश्यक रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह जमानत आदेश की सॉफ्ट कॉपी अधीक्षक, जिला कारागार मथुरा को ई–मेल districtjailmathura@gmail.com पर आवेदक/अभियुक्त के अभिलेख हेतु प्रेषित करना सुनिश्वत करें।

दिनांक–19.03.2026

(विकास कुमार–I)
सत्र न्यायाधीश, मथुरा
I.D.No.–UP1910

सन्देश वर्मा